



**सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC) (आवास ऋण और गृह इक्विटी ऋण)**

**आवेदन संख्या:** \_\_\_\_\_ **उत्पाद का प्रकार :** \_\_\_\_\_ **समझौते की तिथि:** \_\_\_\_\_

उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता:

1.


2. \_\_\_\_\_

3. अन्य, \_\_\_\_\_

उक्त उधारकर्ता और सभी सह-उधारकर्ताओं तथा सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल) (आवास वित्त कंपनी) के बीच समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम और शर्तें।

**1. ऋण का विवरण**

स्वीकृत ऋण राशि	रुपए INR _____ (INR _____ केवल)
ऋण का उद्देश्य / ऋण राशि का वांछित उपयोग	
ब्याज दर	_____ % प्रति वर्ष मासिक आधार पर ब्याज लिया जाएगा _____ % प्रति वर्ष
ब्याज दर के प्रकार	
ऋण की अवधि	महीने
(अस्थायी दर ऋण के मामले में एसजीआरएल खुदरा ऋण दरों में परिवर्तन के साथ अवधि परिवर्तन के अधीन है)	
समान मासिक किस्त (ईएमआई):	INR _____ (INR _____ केवल)
ईएमआई की देय तिथि	10वांहर महीने का
चेक प्रस्तुतीकरण तिथि:	10वांहर महीने का
प्री-ईएमआई (केवल साधारण ब्याज)	आंशिक/किश्त संवितरण अवधि के दौरान _____ % प्रति वर्ष की दर से प्रभारित
(मासिक देय दिनों के लिए, जब तक ऋण का पूर्ण/संपूर्ण वितरण नहीं हो जाता।)	
ब्याज पुनर्निर्धारित करने की तिथि	ग्राहक और उत्पाद के प्रकार, मौजूदा बाजार स्थितियों और किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या एसजीआरएल की आंतरिक नीति में बदलाव के आधार पर एसजीआरएल द्वारा समय-समय पर रीसेट आवृत्ति तय की जाएगी। ब्याज दर में कोई भी बदलाव एसजीआरएल द्वारा अपनी वेबसाइट या एसएमएस/ईमेल आदि के माध्यम से स्थानीय भाषा में अधिसूचित किया जाएगा।
इस ऋण पर लागू कोई अधिसूचन या सब्सिडी	हां नहीं

**2. फीस एवं अन्य प्रभार:**

<p><b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b></p> <p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फ़ोन+911143521832 जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्प.ऑफ.: _____</p> <p>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंगिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 फ़ोन+911244271750 जीएसटी06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट:sgrlimited.in टोल फ्री:1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन:U65923DL2011PLC222491</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- ऋण प्राप्त करने या ऋण समझौते की तैयारी या ऋण समझौते के अनुसार ऋण के वितरण के उद्देश्य से स्टाम्प पेपर और नोटरीकरण की लागत उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी। प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त तकनीकी शुल्क, कानूनी शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क/पीडीडी जैसे अन्य व्यय भी वसूले जाएंगे।
- आपके ऋण के संदर्भ में किसी भी कानूनी कार्रवाई या ऋण की किस्त प्राप्त न होने पर, उधारकर्ता सेवा गृह ऋण लिमिटेड द्वारा किए गए कुल खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- कृपया एसजीआरएल को किए गए सभी भुगतानों की रसीदें अवश्य प्राप्त करें।
- कृपया नवीनतम नियमों और शर्तों के लिए हमारी वेबसाइट देखें।

आप हमारे शाखा कार्यालय में ग्राहक सेवा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

फीस और प्रभार			
नीचे दिए गए शुल्क एवं प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं और यह एसजीआरएल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा तथा प्रभारों में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना के माध्यम से ग्राहक को दी जाएगी।			
ख. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी से मुक्त हैं।			
विवरण/शीर्ष	फीस एवं प्रभार		विवरण
1 प्रारंभिक धन जमा (आईएमडी): लॉगिन शुल्क।	चार गेड @ रु.2000/- (रुपये) दो हजार (केवल) 10 लाख तक की ऋण राशि के लिए  शुल्क रु. 3000/- (तीन हजार रुपये)  (केवल) 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए		आवेदन के समय आईएमडी देय है  आईएमडी एकमुश्त जमा है जिसे एसजीआरएल द्वारा ऋण आवेदन के लिए आवेदन की सोर्सिंग, दस्तावेजों के संग्रह के लिए डोरस्टेप सेवाओं के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।
2 प्रोसेसिंग फीस (पीएफ):	घर ऋण : रु. ....../- रु. ....../- लाख तक अथवा इससे अधिक की स्वीकृति राशि पर 2% की दर से  आर एस ......./- लाख		पीएफ स्वीकृति के समय देय है  पीएफ का संग्रह मूल्यांकन और संवितरण के उद्देश्य से किया जाता है तथा इसमें ऋण के मूल्यांकन के दौरान एसजीआरएल द्वारा किए गए व्यय को शामिल किया जाता है, जैसे क्षेत्रीय जांच, धोखाधड़ी जांच, कानूनी और खोज रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट आदि।  पीएफ राशि, ऋण आवेदन के मूल्यांकन और आकलन के लिए किए गए व्यय में कटौती के बाद, शर्तों और निरदिष्ट प्राधिकारी से आगे की मंजूरी के अधीन, संवितरण से पहले वापस की जा सकती है।
	होम इक्विटी (एलएपी): रु. ......./-  लाखों रुपये की मंजूरी राशि तक		

<b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b> <small>पंजीकृत कार्यालय:</small> <small>प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092</small> <b>फ़ोन+911143521832</b> <b>जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</b>	<b>कॉर्प.ऑफ.:</b> <small>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002</small> <b>फ़ोन+911244271750</b> <b>जीएसटी06AAQCS0870H1Z4</b>	<b>वेबसाइट:sgrlimited.in</b> <b>टोल फ्री:1800 11 3909</b> <b>ईमेल:</b> <b>contact@sgrlimited.in</b>	<b>सीआईएन:U65923DL2011PLC222491</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

फीस और प्रभार			
नीचे दिए गए शुल्क एवं प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं और यह एसजीआरएल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा तथा प्रभारों में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना के माध्यम से ग्राहक को दी जाएगी।			
ख. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी से मुक्त हैं।			
		या रु. 10 लाख से अधिक की मंजूरी राशि के लिए @ 2.5%। ..... लाख.	
3	चेक / ईसीएस / एसीएच / डीडीएम पर प्रति लेनदेन अनादर / बाउंसिंग शुल्क	च आर्ग एड @ रु. 300 / - (रुपये) तीन सौ केवल प्रति उपकरण, प्रति अनादर	चेक/ईसीएस/एसीएच/डीडीएम के अनादर पर देय चेक/ईसीएस/एसीएच/डीडीएम या किसी अन्य मामले में उधारकर्ताओं पर लागू शुल्क उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं या दोनों द्वारा जारी किया गया बैंकिंग लिखत, आहर्ता के बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है।
4	पूर्व भुगतान की राशि पर ऋण पूर्व भुगतान शुल्क (ऋण के पूर्व भुगतान के समय देय)	<b>रुचि का प्रकार</b>	<b>उद्देश्य/प्रीपेड या प्री-क्लोज्ड के माध्यम से शुल्क (जीएसटी को छोड़कर (कृपया नीचे दिए गए नोट देखें))</b>
		फ्लोटिंग दर	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवास ऋण/गैर-आवास ऋण, जब तक कि अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न हो।
		फ्लोटिंग दर	सभी प्रकार के ऋणों के लिए जहां अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है या जहां उधारकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है
		निश्चित दर	उधारकर्ता(ओं) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-बंद आवास ऋण
		निश्चित दर	अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-बंद आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य से गैर-आवास ऋण।
		टिपपणियाँ: 1. इस पर्योजन के लिए "स्वयं के स्रोत" से तात्पर्य बैंक/एचएफसी/एनबीएफसी और/या वित्तीय संस्थान से उधार लेने के अलावा किसी अन्य स्रोत से है। 2. सभी दोहरे/विशेष दर (फिक्सड और फ्लोटिंग का संयोजन) आवास ऋण फिक्सड/फ्लोटिंग दर पर लागू प्री-क्लोजर मानदंड को आकर्षित करेंगे, जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्री-क्लोजर के समय ऋण फिक्सड या फ्लोटिंग दर पर है या नहीं। दोहरे/विशेष दर आवास ऋण के मामले में, फ्लोटिंग दर के लिए प्री-क्लोजर मानदंड तब लागू होगा जब ऋण को फिक्सड ब्याज दर अवधि की समाप्ति के बाद फ्लोटिंग दर ऋण में परिवर्तित कर दिया गया हो। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फिक्सड रेट लोन वह होता है जिसमें ब्याज दर पूरी अवधि के लिए तय होती है। ऋण.	
5	विलंबित भुगतान, देय तिथि के बाद/ईएमआई के विलंबित भुगतान के लिए प्रति किस्त (ईएमआई) शुल्क	2% प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा	यदि निर्धारित तिथि पर या उससे पहले मासिक किस्त सेवा गृह ऋण लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो देय तिथि से देय राशि पर 2% प्रति माह (कर अतिरिक्त) की दर से विलंब भुगतान शुल्क लगाया जाएगा।
6	ग्राहक के स्थान पर संग्रह हेतु शुल्क लिया जाएगा। (घर / कार्यालय / अन्य अनुरोधित स्थान या संग्रह बिंदु)	च आर्ग एड @ रु. 250 / - (रुपये दो सौ पचास मात्र) प्रति विजिट	उधारकर्ता के अनुरोध पर, सेवा गृह ऋण लिमिटेड का कर्मचारी उधारकर्ता के घर या कार्यालय या अन्य उपयुक्त/अनुरोधित संग्रह स्थान से किस्त राशि एकत्र कर सकता है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के घर/कार्यालय/अन्य स्थान से ऋण किस्त एकत्र करने के लिए 250/- रुपये का शुल्क एकत्र की गई किस्त राशि के साथ भुगतान किया जाएगा।

<b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b> <small>पंजीकृत कार्यालय:</small> प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन+911143521832 जीएसटी07AAQCS0870H1Z2	<b>कॉर्पो.ऑफ.:</b> बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 फोन+911244271750 जीएसटी06AAQCS0870H1Z4	<b>वेबसाइट:</b> sgrlimited.in <b>टोल फ्री:</b> 1800 11 3909 <b>ईमेल:</b> contact@sgrlimited.in	<b>सीआईएन:</b> U65923DL2011PLC222491
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

<b>फीस और प्रभार</b>			
नीचे दिए गए शुल्क एवं प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं और यह एसजीआरएल के पूरण विवेक पर निर्भर होगा तथा प्रभारों में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना के माध्यम से ग्राहक को दी जाएगी।			
ख. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी से मुक्त हैं।			
7	दस्तावेज पुनः प्राप्ति के लिए शुल्क. (फोटोकॉपी)	च आर्ग एड @ रु. 500/- (रुपये) पाँच सौ केवल)	मूल दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए आपके आवेदन पर और सेवा गृह ऋण लिमिटेड के साथ बंधक रखी गई आपकी संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी के लिए अनुरोध या शाखा / मुख्यालय में हमारे अधिकृत कर्मियों के सामने दस्तावेजों को देखने के लिए, सभी पर 500 रुपये का शुल्क लागू होगा।
8	एलओडी (जमा किए गए दस्तावेजों की सूची-एसजीआरएल) की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क	शुल्क रु. 2000/- (दो हजार रुपए) केवल)	आपके एलओडी (दस्तावेजों की सूची) की डुप्लिकेट प्रति के लिए आपके आवेदन पर, अर्थात बंधक बनाने के लिए एसजीआरएल के पास जमा की जाने वाली संपत्ति के कागजात और अन्य दस्तावेजों की सूची, जिस पर प्रति एलओडी 2000 रुपये की दर से शुल्क लगेगा।
9	प्रत्येक परिशोधन अनुसूची / खाते की स्थिति / पूर्वभुगतान विवरण के प्रभार।	शुल्क रु. 2000/- (दो हजार रुपए) केवल)	उधारकर्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर साल अपने ऋण खाते का एक खाता विवरण प्राप्त करने का अधिकार है। उधारकर्ता द्वारा ऋण खाते से संबंधित किसी भी अतिरिक्त खाता विवरण या परिशोधन अनुसूची या ऋण पूर्व भुगतान/समापन विवरण की आवश्यकता के मामले में, प्रति विवरण 2000/- रुपये का शुल्क लागू होगा।
10	नो ड्यूज सर्टिफिकेट / डुप्लिकेट एनओसी के लिए शुल्क	500 रुपये (केवल पांच सौ रुपये) पर चार्ज किया गया	उधारकर्ताओं के अनुरोध पर, शाखा 500/- रुपये पर डुप्लिकेट एनओसी/अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।
11	बैंक खाता स्वैपिंग शुल्क	500 रुपये (केवल पांच सौ रुपये) पर चार्ज किया गया	उधारकर्ता के अनुरोध पर एसजीआरएल मौजूदा ऋण में बैंक खाते की अदला-बदली पर विचार करेगा। इस प्रकार सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क 500 रुपये होगा (शुल्क लागू नहीं होगा, जहां अदला-बदली का कार्रवाई है - ए) पीडीसी से एनएसीएच में पुनर्भुगतान मोड परिवर्तन बी) गैर-सीटीएस से सीटीएस बैंक या सी) गैर-एमआईसीआर से एमआईसीआर समाशोधन।
12	तकनीकी शुल्क	5 लाख की ऋण राशि तक 1000/- (केवल एक हजार रुपये) का शुल्क लिया जाएगा 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण राशि के लिए 1500/- (पंद्रह सौ रुपये मात्र) का शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए 2000/- (केवल दो हजार रुपये) का शुल्क लिया जाएगा।	प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त तकनीकी शुल्क भी लिया जाएगा।
13	प्रत्येक किश्त सवितरण के लिए तकनीकी शुल्क	शुल्क 700/- (रुपये) सात सौ केवल)	जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह राशि प्रत्येक किश्त वितरण के लिए ली जाएगी।
14	कानूनी शुल्क	शुल्क 1000/- (केवल एक हजार रुपये)	प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त, उल्लिखित कानूनी शुल्क भी लिया जाएगा।

<b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b> <small>पंजीकृत कार्यालय:</small> <small>पुंजीकृत कार्यालय</small> प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 <b>फ़ोन</b> +911143521832 <b>जीएसटी</b> 07AAQCS0870H1Z2	<b>कॉर्प.ऑफ.:</b> बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 <b>फ़ोन</b> +911244271750 <b>जीएसटी</b> 06AAQCS0870HIZ4	<b>वेबसाइट:</b> sgrlimited.in <b>टोल फ्री:</b> 1800 11 3909 <b>ईमेल:</b> contact@sgrlimited.in	<b>सीआईएन:</b> U65923DL2011PLC222491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

फीस और प्रभार			
नीचे दिए गए शुल्क एवं प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं और यह एसजीआरएल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा तथा प्रभारों में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना के माध्यम से ग्राहक को दी जाएगी।			
ख. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी से मुक्त हैं।			
		5 लाख से 10 लाख तक की ऋण राशि के लिए 1500/- (पंद्रह सौ रुपये मात्र) का शुल्क लिया जाएगा।	
		10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए 2000/- (केवल दो हजार रुपये) का शुल्क लिया जाएगा।	
14	दस्तावेजीकरण शुल्क/पीडीडी	शुल्क 500/- (केवल पांच सौ रुपये)  10 लाख तक की ऋण राशि  10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए @1000/- (केवल एक हजार रुपये) का शुल्क लिया जाएगा	प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त, उल्लिखित दस्तावेजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
15	रूपांतरण शुल्क	बकाया राशि का 2%	यदि ग्राहक फिक्स्ड से फ्लोटिंग ब्याज दर पर स्विच कर रहा है तो बकाया राशि का 2%

### 3. ऋण के लिए सुरक्षा

- आपकी संपत्ति, जिसका पता \_\_\_\_\_ है, ऋण राशि के पूर्ण भुगतान तक कंपनी के पास बंधक (प्रथम प्रभार के आधार पर) के तहत रखी जाएगी। आपको सभी जमा करने की आवश्यकता है इस संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मूल/फोटोकॉपी में, जैसा कि कंपनी द्वारा अपेक्षित हो
- व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की गई \_\_\_\_\_
- अन्य सुरक्षा का विवरण, यदि कोई हो \_\_\_\_\_

### 4. ऋण वितरण की शर्तें: ऋण राशि नीचे उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन वितरित की जाएगी:

- एसजीआरएल द्वारा स्वीकृति पत्र/ऋण समझौते में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना।
- संपत्ति का कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन।
- उधारकर्ता द्वारा स्वयं के अंशदान का भुगतान (ऋण राशि और ग्राहक/उधारकर्ता की कुल लागत में अंतर)।
- ग्राहक द्वारा संपार्ष्विक प्रतिभूति/संपत्ति से संबंधित बकाया/कर/शुल्क के संबंध में एसजीआरएल को नियमित रूप से सूचना उपलब्ध कराने का वचन।
- अधिकृत क्षेत्रों में निर्माण कार्य लागू उपनियमों के अनुसार किया जा रहा है और निर्माण कार्य को निष्पादित करने की सभी अनुमति उधारकर्ता/डेवलपर या दोनों द्वारा ली गई है या लागू की गई है। खरीद के मामले में उधारकर्ता द्वारा इसकी पुनः जाँच की गई है।
- स्वीकृति पत्र, गृह ऋण समझौते, कानूनी और तकनीकी रिपोर्ट और पहलुओं के अनुसार आवश्यक अन्य नियम और शर्तें विषय।

<b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b> <small>पंजीकृत कार्यालय:</small> <small>संपत्ति कार्यालय</small> प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 <b>फ़ोन</b> +911143521832 <b>जीएसटी</b> 07AAQCS0870H1Z2	<b>कॉर्प.ऑफ.:</b> _____ बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मॉडल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 <b>फ़ोन</b> +911244271750 <b>जीएसटी</b> 06AAQCS0870HIZ4	<b>वेबसाइट:</b> sgrlimited.in <b>टोल फ्री:</b> 1800 11 3909 <b>ईमेल:</b> contact@sgrlimited.in	<b>सीआईएन:</b> U65923DL2011PLC222491
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

- एसजीआरएल के पास ऋण की राशि उधारकर्ता के खाते में स्थानांतरित होने तक ऋण वितरण को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, एसजीआरएल के पास ग्राहकों के ऋण खाते के क्रेडिट प्रदर्शन विवरण को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साझा करने का भी अधिकार सुरक्षित है। अन्य एजेंसियों के साथ।

#### 5. बीमा से संबंधित जानकारी

- हम आपको सलाह देते हैं कि आप सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पास बंधक रखी गई संपत्ति के लिए कम से कम ऋण की अवधि के लिए बीमा कवर ले और ऋण राशि के बराबर राशि ले तथा उसे सेवा गृह ऋण लिमिटेड को सौंप दें। बीमा कंपनी का नाम जहां संपत्ति का बीमा किया गया है और सेवा गृह ऋण लिमिटेड को सौंपी गई है। बीमा कवर का मूल्य और अन्य नियम व शर्तें:
- बीमा निवेदन का विषय है।

#### 6. सब्सिडी:

- हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के बारे में जानकारी दी गई है। हम समझते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं, तो सरकार हमें सब्सिडी कार्यक्रम के लागू नियमों के अनुसार लाभ देगी। हम समझते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत केवल सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आएंगे और सेवा गृह ऋण लिमिटेड का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)-पीएमएवाई के तहत सब्सिडी प्राप्त करने पर, मेरी ईएमआई अनिवार्य रूप से कम कर दी जाएगी और आगे लागू नियमों और शर्तों के साथ एक नई अनुसूची बताई जाएगी और इसकी पावती दी जाएगी।
- सब्सिडी का लाभ उठाने की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि चूक की स्थिति में, लाभार्थी को एसजीआरएल ऋण की पूरी बकाया राशि चुकाने की जिम्मेदारी होती है, जो एसजीआरएल द्वारा पहली अनुसूची के अनुसार उधारकर्ताओं/लाभार्थी को स्वीकृत और वितरित की गई राशि के आधार पर होती है। इसलिए, एसजीआरएल की शेष ऋण राशि और सरकारी सब्सिडी दोनों ही लाभार्थी/उधारकर्ताओं से वसूल की जा सकती है।

#### 7. ऋण राशि और ब्याज का पुनर्भुगतान

- प्री-ईएमआई के रूप में साधारण ब्याज, सवितरण की तिथि/संबंधित तिथियों से लेकर ईएमआई के प्रारंभ होने की तिथि तक ईसीएस/पीडीसी/एसीएच/डीडीएम के माध्यम से वितरित ऋण राशि पर देय होगा।
- ऋण राशि \_\_\_\_\_ महीनों में, \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) की समान मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी, जो पूरी ऋण राशि वितरित होने की तारीख के अगले महीने से शुरू होगी।
- भविष्य में ब्याज दर में किसी भी तरह के बदलाव के मामले में आपको पत्र/कॉल या किसी अन्य उचित तरीके से सूचित किया जाएगा। फिर आपको नई ब्याज दर के अनुसार किस्त की राशि या ऋण की अवधि को समायोजित करने के लिए सेवा गृह ऋण लिमिटेड शाखा कार्यालय से संपर्क करना होगा।

#### 8. शेष किशतों की वसूली प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

- आपके द्वारा दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर फोन कॉल या संदेश के माध्यम से आपको अपनी ईएमआई का भुगतान करने के लिए बैंक में पर्याप्त धनराशि जमा करने की याद दिलाई जा सकती है।
- यदि आपके द्वारा EMI के भुगतान के लिए प्रदान किया गया बैंकिंग उपकरण आपके बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर पर फिर से फोन कॉल या संदेश भेजा जा सकता है। आपको सेवा गृह ऋण लिमिटेड के शाखा कार्यालय में चेक (उपकरण) अनादर शुल्क के साथ देय राशि जमा करनी होगी। कंपनी के कर्मचारी देय राशि लेने के लिए आपके घर या कार्यालय आ सकते हैं।
- यदि आप निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कुल देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो सेवा गृह ऋण लिमिटेड पक्षों के बीच निष्पादित ऋण समझौते और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा। धारा 138 परकरामय लिखत अधिनियम और / या SARFAESI जैसी कानूनी कार्रवाई केस-टू-केस आधार पर शुरू की जाती है। कंपनी द्वारा बंधक के तहत रखी गई आपकी संपत्ति को कानूनी कार्रवाई या अदालत या संबंधित न्यायिक प्राधिकरण के निर्देश या निर्णय के तहत ऋण राशि वसूलने के लिए कब्जे में लिया जा सकता है और / या आगे बेचा जा सकता है।

<p><b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b></p> <p>पंजीकृत कार्यालय:</p> <p>प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092</p> <p>फोन+911143521832</p> <p>जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पो.ऑफ.:</p> <p>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 फ़ोन+911244271750</p> <p>जीएसटी06AAQCS0870H1Z4</p>	<p>वेबसाइट:sgrlimited.in</p> <p>टोल फ्री:1800 11 3909</p> <p>ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन:U65923DL2011PLC222491</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

9. आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान उधारकर्ताओं को वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगा।

10. संचार का माध्यम..... डाक/एसएमएस/ई-मेल द्वारा

**11. ऋण अवधि के दौरान ग्राहक सेवाएँ**

क) कार्यालय में मिलने का समय - किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

ख) आप अपने ऋण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए शाखा में ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

**12. अन्य शर्तें:**

- ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता निम्नलिखित राशि एकत्र कर सकता है:
  - निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से 15 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक सेवा अधिकारी से अपने ऋण खाते से संबंधित खाते का विवरण प्राप्त करना।
  - फौजदारी पत्र को संसाधित करने के लिए सेवा समय 30 कार्य दिवस है और दस्तावेजों की सूची को संसाधित करने के लिए सेवा समय निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से 30 कार्य दिवस है।
  - एसजीआरएल के पास बंधक के रूप में रखे गए उधारकर्ता की संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों की फोटोकॉपी। उधारकर्ता को निर्दिष्ट शुल्क के साथ एक लिखित अनुरोध देना आवश्यक है। उधारकर्ता निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर शाखा कार्यालय से उक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है।
  - सभी बंद/परिपक्व ऋणों के मूल दस्तावेज ऋण बंद होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एसजीआरएल के बैंक खाते में पूरी बकाया राशि प्राप्त होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। उनूहें उसी एसजीआरएल शाखा से एकत्र किया जा सकता है जहाँ से ऋण वितरित किया गया था/या फौजदारी के समय ग्राहक द्वारा दी गई पसंद की किसी भी शाखा से। कृपया SGRL शाखाओं की अद्यतन सूची के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ।
  - हमारी शाखाओं का पता जानने के लिए हमारी वेबसाइट का संदर्भ लिया जा सकता है।
  - एमआईटीसी एसजीआरएल ऋण नीति का एक अभिन्न अंग है।

**13. शिकायत निवारण प्रक्रिया**

किसी भी शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता सबसे पहले कंपनी द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से मिल सकता है। ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके जीआरओ से बात कर सकता है या जीआरओ को मेल लिख सकता है। जीआरओ का विवरण इस प्रकार है:

सुश्री सुनीला श्वेता

मिंज शिकायत

निवारण अधिकारी

(जीआरओ)

**पंजीकृत कार्यालय:**

1 अनुसूचित जनजाति फ्लोर, 216/सी-12, पुराना

नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक

पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन:

01143521832

**कॉर्पोरेट कार्यालय**

बिल्डिंग नं. 8,

टावर सी, 8<sup>मं</sup>मंजिल

डीएलएफ साइबर सिटी,

गुरुग्राम-122002

फोन: 0124-4271-750

ई-मेल: sweta.m@sgrlimited.in / शिकायते@sgrlimited.in

**टोल फ्री नंबर: 1800113909**

<p><b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b></p> <p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन+911143521832 जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पो.ऑफ.:</p> <p>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 फोन+911244271750 जीएसटी06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट:sgrlimited.in टोल फ्री:1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन:U65923DL2011PLC222491</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

14. यदि शिकायत का निवारण ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है, तो मामला कंपनी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मुख्य  
व्यवसाय अधिकारी

**पंजीकृत कार्यालय:**

1 अनुसूचित जनजाति फ्लोर, 216/सी-12, पुराना  
नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक  
पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन:  
011-4352-1832

**कॉर्पोरेट कार्यालय**

बिल्डिंग नं. 8,  
टावर सी, 8<sup>मं</sup> मंजिल  
डीएलएफ साइबर सिटी,  
गुरुग्राम-122002  
फोन: 0124-4271-750  
ई-मेल: [शैलेन्द्र.गुप्ता@sgrlimited.in](mailto:शैलेन्द्र.गुप्ता@sgrlimited.in)

शिकायत दर्ज होने पर, शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) शिकायत के लिए एक सप्ताह के भीतर पावती/प्रतिक्रिया के साथ-साथ विशिष्ट शिकायत पहचान संख्या प्रदान करेगा और शिकायतकर्ता से अनुरोध करेगा कि वह भविष्य में सभी वार्तालापो और पत्राचार में इस संख्या का उपयोग करे। पावती पत्र में जीआरओ का विवरण होगा। यदि शिकायत कंपनी के हेल्पडेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर फोन पर भेजी जाती है, तो उधारकर्ता को शिकायतकर्ता संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी और उचित समय के भीतर प्रगति के बारे में सूचित रखा जाएगा। मामले की जांच करने के बाद, कंपनी उधारकर्ता को शिकायत/अनुरोध के प्रकार के आधार पर अधिकतम 6 सप्ताह के साथ अपना अंतिम उत्तर भेजेगी। यदि अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो अंतरिम में, कंपनी ऐसे उधारकर्ता को अपेक्षित समय-सीमा बताएगी और उसे सूचित किया जाएगा कि यदि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायत को आगे कैसे ले जाना है।

15. ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय में मुख्य व्यवसाय अधिकारी से संबद्ध एक विशेष ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। (आवेदन पत्र का प्रारूप- सॉफ्ट कॉपी)

नाम*	
पता*	
संपर्क नंबर*	
ग्राहक आईडी*	
ऋण खाता संख्या*	
ईमेल आईडी*	
विषय*	
सवाल*	

**अनिवार्य क्षेत्र \***

16. कंपनी के उधारकर्ता पूर्व नियुक्ति के साथ किसी भी कार्य दिवस पर कंपनी के संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने ऋण पर चर्चा कर सकते हैं।

<b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b> <small>पंजीकृत कार्यालय:</small> <small>प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092</small> <small>फोन+911143521832</small> <small>जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</small>	<b>कॉर्पो.ऑफ.:</b> <small>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002</small> <b>फोन+</b> <small>911244271750</small> <b>जीएसटी06AAQCS0870HIZ4</b>	<b>वेबसाइट:</b> <a href="http://sgrlimited.in">sgrlimited.in</a> <b>टोल फ्री:</b> 1800 11 3909 <b>ईमेल:</b> <a href="mailto:contact@sgrlimited.in">contact@sgrlimited.in</a>	<b>सीआईएन:</b> U65923DL2011PLC222491
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------



उनके खातों से संबंधित मुद्दे।

17. जीआरओ, मुख्य व्यवसाय अधिकारी और वित्त एवं लेखा प्रमुख वाली शिकायत निवारण समिति शिकायत की समीक्षा करेगी और उसके निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

18. यदि उधारकर्ता प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो उधारकर्ता मामले को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक बढ़ा सकता है।

सुश्री श्रुति गोसाल्वेस

एमडी एवं सीईओ

**पंजीकृत कार्यालय:**

1 अनसूचित जनजाति फ्लोर, 216/सी-12, पुराना

नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक

पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन:

01143521832

**कॉर्पोरेट कार्यालय**

बिल्डिंग नं. 8,

टावर सी, 8<sup>वां</sup> मंजिल

डीएलएफ साइबर सिटी,

गुरुग्राम-122002

फोन: 0124-4271-750

ई-मेल: [ceo@sgrlimited.in](mailto:ceo@sgrlimited.in)

19. यदि उधारकर्ता को 30 दिनों के भीतर कंपनी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो उधारकर्ता एनएचबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके या एनएचबी को डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर अपनी शिकायत दर्ज करके राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकता है:

राष्ट्रीय आवास बैंक

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विनियमन एवं पर्यवेक्षण

विभाग चौथी मंजिल, कोर 5 ए, इंडिया हैबिटेड सेटर, लोधी

रोड, नई दिल्ली - 110 003

एनएचबी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक

<https://grids.nhbonline.org.in>

ऋण समझौते में विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान है।

इस दस्तावेज़ में पक्षों के बीच ऋण और सुरक्षा लेनदेन की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का सारांश है। इसलिए, यह सहमति है कि ऋण की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, पक्ष ऋण समझौते और उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जा रहे सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।

#### **महत्वपूर्ण**

1) कृपया निम्नलिखित में से एक का चयन करें

- इस ऋण के उधारकर्ता और सभी सह-उधारकर्ताओं ने ऊपर उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और इन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।
- ऊपर उल्लिखित सभी नियम और शर्तें श्री / श्रीमती / सुश्री द्वारा उधारकर्ता और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ताओं को पढ़ कर सुनाई जाती हैं।

<p><b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b></p> <p><small>पंजीकृत कार्यालय:</small> प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन+911143521832 जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</p>	<p><b>कॉर्पो.ऑफ.:</b></p> <p>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मंजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 फोन+911244271750 जीएसटी06AAQCS0870HIZ4</p>	<p><b>वेबसाइट:</b> <a href="http://sgrlimited.in">sgrlimited.in</a> <b>टोल फ्री:</b> 1800 11 3909 <b>ईमेल:</b> <a href="mailto:contact@sgrlimited.in">contact@sgrlimited.in</a></p>	<p><b>सीआईएन:</b> U65923DL2011PLC222491</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

\_\_\_\_\_ और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया गया है।

- 2) इस ऋण के वितरण के उद्देश्य से, उधारकर्ता और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि उन्हें इस दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त हो गई है
- 3) उपरोक्त शुल्क और प्रभारों में जीएसटी और अन्य सरकारी कर, शुल्क आदि शामिल नहीं हैं और ये परिवर्तन के अधीन हैं तथा यह सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पूरण विवेक पर निर्भर करेगा।  
प्रभारों में कोई भी परिवर्तन कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा -[www.sgrlimited.in](http://www.sgrlimited.in)
- 4) एमआईटीसी का स्थानीय संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है -[www.sgrlimited.in](http://www.sgrlimited.in)

उधारकर्ता और सभी उधारकर्ताओं और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नाम	हस्ताक्षर

सेवा गृह रिन लिमिटेड के लिए.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेवा गृह रिन लिमिटेड के शाखा कार्यालय का पता: -

(\_\_\_\_\_)

<p><b>सेवा गृह रिन लिमिटेड</b></p> <p><small>पंजीकृत कार्यालय:</small></p> <p><small>प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092</small></p> <p><b>फ़ोन+911143521832</b></p> <p><b>जीएसटी07AAQCS0870H1Z2</b></p>	<p><b>कॉप.ऑफ.:</b></p> <p>_____</p> <p>बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, 8 साइबर मजिल डीएलएफ सिटी गुरुग्राम-122002 <b>फ़ोन+911244271750</b></p> <p><b>जीएसटी06AAQCS0870HIZ4</b></p>	<p><b>वेबसाइट:</b><a href="http://sgrlimited.in">sgrlimited.in</a></p> <p><b>टोल फ्री:</b>1800 11 3909</p> <p><b>ईमेल:</b> <a href="mailto:contact@sgrlimited.in">contact@sgrlimited.in</a></p>	<p><b>सीआईएन:</b>U65923DL2011PLC222491</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------